

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक: प.8(ग)(38)/नियम/डीएलबी/2019/

दिनांक:

आदेश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के अन्तर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाती है—

क्र.सं	कर का नाम	
1.	गृहकर	सम्पूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय/व्यावसायिक/भूखण्डों/भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट।
2.	नगरीय विकास कर	वर्ष 2025-2026 तक के नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी।

उक्त छूट शहरी निकायों में आयोजित शिवरों की अवधि दिनांक 15.07.2026 तक ही दी जावेगी।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(38)/नियम/डीएलबी/2019/

दिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजि सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निदेशक स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान।
6. महालेखाकर, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय।
10. प्रोग्रामर निदेशालय नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

RajKaj Ref No.:
22835887

M e-Sign

